



**भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार**  
**(पशुपालन और डेयरी विभाग)**  
**एनआईएडब्ल्यू परिसर, 42 मील पत्थर,**  
**राष्ट्रीय राजमार्ग-2, बल्लभगढ़, हरियाणा -121004**

ई-मेल: [animalwelfareboard@gmail.com](mailto:animalwelfareboard@gmail.com) :वेबसाइट: [www.awbi.in](http://www.awbi.in)

सं०:10-06/2020-21/जी.ज.क.स.

दिनांक: 14.12.2020

सेवामें,

सभी मान्यता प्राप्त जीव-जंतु कल्याण संस्थाएँ जिनके पास यूनिफाई.डी. नम्बर है।

महोदय /महोदया,

**विषय: वर्ष 2020-2021 की वित्तीय सहायता(नियमित अनुदान) आवेदन-पत्र भेजने के सम्बन्धमें।**

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-2021 का वित्तीय सहायता (नियमित अनुदान) आवेदन-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्तीय सहायता आवेदन -पत्र को बोर्ड की वेबसाइट [www.awbi.in](http://www.awbi.in) से भी प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2020-2021 के अनुदान पर विचार करने के लिए आपसे निवेदन है कि आवेदन-पत्र को पूर्ण रूप से भर कर सभी दस्तावेजों (केवल वही संस्थाएँ बोर्ड को आवेदित करें जिन्होंने यूनिफाई.डी. नम्बर प्राप्त कर लिया है और यदि बोर्ड को नहीं भिजवाया है तो भिजवाये)। पशु पालन विभाग द्वारा प्रमाणित-निरीक्षण रिपोर्ट/पशु सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित बोर्ड को भिजवाये। संस्था में आश्रित / उपचारित पशुओं की संख्या का सत्यापन राज्य सरकार के स्थानीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी से करवाये; जिसमें उनके हस्ताक्षर, नाम, पद, और कार्यालय की मोहर सहित पूर्ण विवरण होना चाहिए। दूरभाष या मोबाईल संख्या अवश्य लिखें। **पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2021 से पहले भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, एन.आई.ए.डब्ल्यू. परिसर, 42 कि.मी. स्टेशन, दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राज मार्ग-2, सीकरी, बल्लभगढ़, हरियाणा- 121004 को प्राप्त हो जाना चाहिए, ताकि इस पर विचार किया जा सके।**

कृपया नियमित अनुदान आवेदन-पत्र के साथ पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा संस्था द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कराकर बोर्ड को भिजवाये यदि नहीं भेजी गई है तो, अन्यथा आपके आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

संस्थाएँ अन्य योजनाओं जैसे (i) शेल्टरहाउस, (ii) एम्बुलेंससेवा, (iii) बेसहारा कुत्तों का पशु जन्म दर नियंत्रण (ए.बी.सी.), (iv) प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन-पत्र बोर्ड की वेबसाइट [www.awbi.in](http://www.awbi.in) पर उपलब्ध है।

भवदीय,

  
(डॉ. एस.के. दत्ता)

सचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



## भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

एनआईएडब्ल्यू परिसर, 42 मील पत्थर,

राष्ट्रीय राजमार्ग-2, बल्लभगढ़, हरियाणा -121004

ई-मेल: [animalwelfareboard@gmail.com](mailto:animalwelfareboard@gmail.com) :वेबसाइट: [www.awbi.in](http://www.awbi.in)

**वर्ष 2020-2021 के लिए जीव जन्तु कल्याण संस्थाओं को वित्तीय (नियमित अनुदान)**

**सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र**

1. संस्था का नाम :
2. संस्था का पता :  
(पिन कोड के साथ)
3. संपर्क विवरण  
अ) फोन नम्बर एस.टी.डी कोड के साथ :  
आ) मोबाइल नम्बर :  
इ) व्हाट्सएप नम्बर :  
ई) ई-मेल आई.डी. :
4. एडबल्यूबीआई मान्यता संख्या :
5. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम/  
सहकारी समिति अधिनियम/ गौशाला अधिनियम  
गौ-सेवा आयोग के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या
6. नीति आयोग द्वारा जारी यूनिफ आई.डी. नम्बर, :
7. संस्था का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम :  
और आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या का विवरण दें
8. निम्नलिखित घटकों को पूर्ण करने हेतु बोर्ड से :  
अनुमानित लागत (घटकानुसार) का विवरण  
अ) चारा की खरीद एवं विकास व पानी की सुविधा :  
पर किये गये खर्च की लागत हेतु  
आ) बीमार/वृद्ध जानवरों के लिए दवाईयाँ और इलाज :  
के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद की लागत हेतु  
इ) पशु चिकित्सकों, निरीक्षकों, पशु चिकित्सा :  
सहायक, वाहन चालक और संस्था के स्थाई  
कर्मचारियों पर किये गये खर्च की लागत हेतु
9. संस्था में रखे गए पशुओं की संख्या का विवरण :  
(निर्धारित प्रोफार्मा में - संलग्नक -1)
10. संस्था में उपलब्ध शरणागृह व गोचर भूमि का विवरण :  
यदि कोई हो

11. संस्था में उपलब्ध एम्बुलेंस या ट्रैक्टर ट्रॉली का विवरण :  
यदि कोई हो
12. संस्था के व्यय स्रोत का विवरण :
13. संस्था द्वारा जीव जन्तु कल्याण हेतु की जा रही :  
गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

#### घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण और दस्तावेज जो मेरे द्वारा प्रदान किये गये हैं वो पूर्णतः सही एवं सत्य है और इसमें कुछ भी जानकारी छिपायी नहीं गई है। मैंने योजना पढ़ी है और योजना के नियमों और शर्तों को पूरा किया है। अनुदान सहायता के लिए आवेदन पत्र संस्था की शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) की सहमति से जमा किया गया है।

हस्ताक्षर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम:

पद:

संस्था की मोहर सहित

- 
1. आवेदन-पत्र शुल्क रू.500/- चेक / पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में “भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, के नाम पर “बल्लभगढ़ में देय हो”। या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सीकरी, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में बोर्ड के खाता संख्या 52006761496, IFSC Code SBIN0018183 में सीधा जमा करा सकते हैं। और भुगतान किये यूटीआर नम्बर (UTR Number) का विवरण आवेदन पत्र के साथ में भेजे ।
  2. वर्तमान में संस्था की प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का ब्यौरा।
  3. संस्था के सोसायटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र और संस्था के संविधान एवं नियमावली की प्रतियाँ।
  4. संस्था के आयकर अधिनियम के तहत 80G में छूट का विवरण, यदि कोई हो।
  5. संस्था का विदेशी अनुदान (विनियमन) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि कोई हो।
  6. संस्था के कर्मचारियों का विवरण जैसे, नाम, वेतन, पद इत्यादि।
  7. संस्था के स्वामित्व या पट्टे वाली संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, यदि कोई हो।
  8. संस्था के पिछले वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट /गतिविधि रिपोर्ट की एक प्रति।
  9. संस्था की पिछले तीन वर्षों की ऑडिटेड आय-व्यय लेखा विवरण और आयकर रिटर्न की प्रतियां, पिछले वर्षों में बोर्ड द्वारा जारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो।
  10. संस्था को बोर्ड, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विदेशी एजेंसियों और अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त अनुदान का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विवरण, यदि कोई हो।
  11. संस्था के अन्य कोई दस्तावेज, यदि आवश्यक माने जाते हों।

यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में है तो उसका हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवा कर भिजवायें।

योजना के नियम एवं शर्तें

1. निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन वित्तीय सहायता (नियमित अनुदान) के लिए 500/- रुपये के शुल्क के साथ किया जाएगा।
2. वित्तीय सहायता (नियमित अनुदान) के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, गौशाला अधिनियम, गोसेवा आयोग या किसी भी स्थानीय निकाय के साथ पंजीकृत समिति के रूप में पंजीकृत या किसी भी राज्य या केंद्रीय कानून के तहत पशु कल्याण कार्य करने वाले संगठन ही पात्र होंगे।
3. गैर-सरकारी संगठन जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:
  - (क) यह एक उपयुक्त अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निकाय है।
  - (ख) इसकी एक उपयुक्त प्रशासनिक संरचना और एक विधिवत गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति है।
  - (ग) संगठन के कार्यक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य ठीक से निर्धारित किये गए हैं।
  - (घ) संगठन, इसके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के शुरू एवं शासित किया जा रहा है।
  - (ङ) संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवधिक रिपोर्ट और रिटर्न जमा कराने की सहमति देता है।
  - (च) संबंधित संगठन तीन साल की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  - (छ) संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों में पशु कल्याण गतिविधियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
  - (ज) संगठन भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और बिना किसी शिकायत/प्रतिकूल टिप्पणी के पशु कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए।
4. आवर्ती और अनावर्ती व्यय पर अनुमोदित लागत के 100% के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
5. संगठन स्थानीय निकायों आदि से आवारा /बचाए गए /उपचारित /रोगग्रस्त /वृद्ध जानवरों को संगठन जगह और क्षमता की उपलब्धता के आधार पर स्वीकार करेगा।
6. संगठन अनुदान का उपयोग मिली हुई मंजूरी के अनुरूप करेगा।
7. बोर्ड से प्राप्त अनुदान का उपयोग स्वीकृत घटकों में अनुदान जारी होने की तिथि से पिछले दो वर्षों के दौरान किये गए व्यय में उपयोग कर सकती है अथवा अनुदान जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर उपयोग करे। आवेदन के समय एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि आवश्यक निधि अनुमोदित उद्देश्य हेतु ही उपयोग में ली जायेगी। निधि के व्यय के बाद संस्था बिलों की प्रतियों के साथ बोर्ड को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। संगठन द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा जिसे लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत अनुमोदिन कराकर प्रस्तुत किया जाये।
8. जहां तक निर्माण के उद्देश्य के अलावा अनुदान सहायता के संबंध में, मौजूदा और नई परियोजनाओं दोनों के लिए इस के तहत व्यय का प्रारूप व्यापक रूप से समान वस्तुओं के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समान घटकों पर व्यय के प्रारूप अनुरूप होगा हालांकि, असाधारण मामलों में बोर्ड परामर्श से विचलन की अनुमति दी जा सकती है।
9. बजट की उपलब्धता के अनुसार अनुदान एक किस्त / एकाधिक किस्तों में दिया जाएगा। (जीव जंतु कल्याण संस्थान निर्धारित प्रारूप में एक वैध बंध-पत्र कार्यान्वित करेगा कि अनुदान कि किसी भी या सभी शर्तों का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में यह पूरे अनुदान या इसके ऐसे हिस्से को ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा जो भी सरकार निर्णय ले।
10. संस्था किसी भी मामले में एक स्वीकृत उप-शीर्ष में अधिकतम 50 प्रतिशत तक व्यय को फिर से विनियमन कर सकती है। इस तरह के पुनः विनियमन कुल स्वीकृत राशि तक ही होगा। हालांकि, बोर्ड द्वारा स्वीकृत मदों पर बचत के पुनः विनियमन द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा। बचत राशि को कर्मचारियों पर व्यय हेतु विनियमित नहीं किया जायेगा जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, बोर्ड को सभी स्वीकार्य विनियमन की सूचना दी जानी चाहिए। इस तरह के पुनः विनियमन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
11. अनुमोदित परियोजना में, बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जायेगा, भले ही इसमें कोई अतिरिक्त लागत शामिल नहीं हो।
12. यदि बोर्ड परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है या यदि यह पाया जाता है कि इन नियमों का गंभीरता से उल्लंघन किया जा रहा है, तो यह अनुदान सहायता को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बोर्ड की अनुदान समिति की सिफारिशों पर अनुदान मंजूर किया जाएगा।
14. बोर्ड /सरकार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि सूचना के साथ या बिना सूचना के निगरानी हेतु संस्था के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है।

निरीक्षण एवं पशु सत्यापन रिपोर्ट  
(राज्य सरकार के पशु पालन विभाग से सम्बन्धित जिले के पशुचिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करें)

प्रति,  
सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड  
बल्लभगढ़ (हरियाणा)

1. संस्था का नाम एवं पता :
2. शरणस्थल का पता :
3. उपलब्ध शरणागृहों की संख्या का विवरण :
4. .... दिनांक तक शरणागृह में आश्रित पशुओं की संख्या का विवरण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गायें	भैसे	दुधारू पशु	बैल /सांड	नर बछड़े	मादा बछड़े	घोड़े	गधे	भेड़े/ बकरियाँ	बिल्लियाँ/ बिलौटे	कुत्ते/ पिल्ले	अन्य जीव जन्तु (श्रेणी दें )	योग

अन्य पशुओं का विवरण (कॉलम नं.12)

5. वर्षावधि के दौरान बचाये गये पशुओं की संख्या का विवरण :
6. वर्षावधि के दौरान संस्था द्वारा उपचार किये गये पशुओं का विवरण  
(संस्था के द्वारा रखे गए उपचार रजिस्टर के आधार पर सत्यापित )
  - अ) हस्पताल/संस्था की डिस्पेंसरी में :
  - आ) तत्काल उपचार किये गये पीड़ित एवं  
घायल पशुओं का विवरण :
  - इ) चिकित्सा शिविरों में :
  - ई) चलता-फिरता उपचार केन्द्र के द्वारा :कुल :
7. संस्था द्वारा दायर किये गये क्रूरता के मामलों की संख्या :
8. संस्था द्वारा दायर किये गये मुकद्दमों की संख्या :
9. संस्था में कार्यरत पशु चिकित्सक/सहायक पशु चिकित्सक/  
पशुओं की देख-भाल के सहायकों की संख्या :
10. पशु चिकित्सा वाहन की खरीद बोर्ड /मंत्रालय के सहायता  
अनुदान के अन्तर्गत खरीदा गया था। उसका यथोचित उपयोग किया गया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दिये गए सभी विवरण व संस्था द्वारा रखे गए रिकार्डों निरीक्षण के दौरान सही पाये गये हैं। संस्था का अन्तिम निरीक्षण ..... को किया गया है।

हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर  
अधिकारी का नाम (पशु पालन विभाग)  
पद  
पता / दूरभाष संख्या: